

निर्णय बड़जलास काना राम (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 45/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जीसीएमएस नं० 2025/395

आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेडप्राथी

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश गुर्जर निवासी बाडा वाजीदपुर पो० केमरी तह० नादोती जिला करौली 322216
2. श्रीमती केशन्ती पत्नि ओमप्रकाश गुर्जर निवासी बाडा वाजीदपुर पो० केमरी तह० नादोती जिला करौली

.....अप्राथी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

--: आदेश :-

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी बैंक ने अप्राथी ऋणी को दिनांक 28.01.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री ओमप्रकाश गुर्जर निवासी बाडा वाजीदपुर पो० केमरी तह० नादोती जिला करौली की सम्पत्ति प्लॉट नं० 133 खसरा नं० 119 ग्राम सालोदा, तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडोसी पूर्व में चरपेटवा भूखण्ड सियाराम मीना का, पश्चिम में आम रास्ता 30 फीट, उत्तर में चरपेटवा भूमि अन्य की व दक्षिण में चरपेटवा भूखण्ड छुट्टन मीना का है, जिसका क्षेत्रफल 108.53 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 13,40,000/- (तेरह लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्राथी ऋणी द्वारा प्राथी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथी ऋणी को दिनांक 10.07.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 27.08.2025 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. अप्राथीगण को सुनवाई हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया किन्तु बावजूद तामिल नोटिस अप्राथीगण नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुए।
3. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभाँति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्राथी बैंक द्वारा दिनांक 10.07.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी गया साथ ही दिनांक 27.08.2025 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्राथी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्राथी ऋणी की ओर से प्राथी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं० 133 खसरा नं० 119 ग्राम सालोदा, तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडोसी पूर्व में चरपेटवा भूखण्ड सियाराम मीना का, पश्चिम में आम रास्ता 30 फीट, उत्तर में चरपेटवा भूमि अन्य की व दक्षिण में चरपेटवा भूखण्ड छुट्टन मीना का है, जिसका क्षेत्रफल 108.53 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्राथी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्राथी बैंक को हस्त कायदा जारी हो।
6. पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 18/2/2026 को सुनाया गया।

(काना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर